

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

२५/१/२०२५

पत्रावली पेश। जय श्री वकील अनुपस्थित। अग्रार्थी वकील
 उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन के बाद कि अग्रार्थी ने
 २, ५, १३ से २२, २६, २८ के समस्त तारीखों का
 ११ स्व. न्यायालय में बार-बार आवेदन लगाये जाते
 एवं जवाब दिये गये अवलोकन के बाद परन्तु उपस्थित
 नहीं। अतः अग्रार्थी से. २, ५, १३ से २२, २६, २८ के
 विरुद्ध एतदधीन कार्यवाही द्वारा में लगी जाकर एतदधीन
 गिरा जाते हैं। पत्रावली के अग्रार्थी वकील द्वारा अग्रार्थी
 से. १, २, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १५, १६, १७, १८, २५, २६,
 २७, २८ का जवाब पेश करते एवं अग्रार्थी वकील द्वारा
 अग्रार्थी से. २०, २१ का नौरीत नये पत्र पेश
 करते बाबत दि. ०८/०२/२०२५ को पेश करेंगे

०८/०२/२०२५

पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अग्रार्थी
 से. २०, २१ के समस्त अग्रार्थी वकील एवं (पत्रावली के नाम
 प्राप्त हुए कि "शासनाजी जोषपुर परिवार लगे रहते हैं।"
 अग्रार्थी शिबवसा को अग्रार्थी गण २०/२ व २१ के नौरीत नये पत्र पर
 पेश करते हेतु मंत्र तार निवेदन किया गया लेकिन अग्रार्थी
 शिबवसा द्वारा उक्त पत्रों तक अग्रार्थी से २०/२ व २१ के
 नौरीत समस्त पेश नहीं किये। अतः CPC के फाईस ०९ नियम ७५
 के अन्तर्गत अग्रार्थी वकील, अग्रार्थी वकील के विना लॉयर्स के परन्तु
 एक माह तक नये पत्रों के लिये आवेदन करने में अग्रार्थी
 करता है, वहां बाव. का एकीक. किया जाया जाता है।

Contd.

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम जोपालगढ़

हरिराम बनाम शमशकवार

किस्म मुकदमा शर RT Act नं. 56/2019 सन् 56/2019

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इन्डिस्ट्रियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| | <p>उपरोक्त मय बाद में वादी/पक्षी अधिकारों द्वारा उपरोक्त कार्य होने के फलस्वरूप आज दिनांक तक नये पत्र पर उपरोक्त की 30/1 व 31 के नये समग्र के लिये आवेदन नहीं किया गया। यही एक कारण से वादी का मूल वाद संतोष द्वारा 53/188 RT Act का प्रकरण सं. 53/2019 अदम तकमील में खारिज किया जा चुका है। अतः पक्षी के उपरोक्त संतोष द्वारा शर RT Act में कोई कार्यवाही उपरोक्त नहीं होने से पक्षी का उपरोक्त व्यवहार किया जाता है फलस्वरूप अकार होकर दण्ड नष्टा से क होकर कोषित होकर है।</p> | |


 सहायक डिविजनल अधिकारी
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 जोपालगढ़ (जोधपुर)